छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019

(माघ 24, शक सम्वत् 1940)

[अंक 09]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019

(माघ 24, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोण्डागांव नगर में बायपास निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

1. (*क्र. 112) श्री मोहन मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एन. एच. 30 में कोंडागांव नगर में बायपास सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ? यदि हां तो उक्त बायपास के निर्माण में कितने कृषकों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है ? बायपास सड़क किस-किस ग्राम से होकर कहां तक जायेगी ? (ख) प्रस्तावित बायपास की कुल लंबाई कितनी है तथा उस हेतु केन्दि्रय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है एवं कितनी राशि आवंटित की जा चुकी है एवं उसमें से कितनी-कितनी राशि किस कार्य के लिए व्यय हुई है ? (ग) निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ/पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां. उक्त बायपास के निर्माण में 99 कृषकों की 13.249 हेक्टेयर निजी भूमि एवं 06 वन अधिकार पट्टा की 2.049 हेक्टेयर भूमि, कुल 105 कृषकों की 15.298 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है. बायपास सड़क एन. एच. 30 के कि.मी. 223/2 से प्रारंभ होकर ग्राम कोण्डागांव, पलारी, डोंगरीगुड़ा, खुबडोबरा (कोकोड़ी) एवं चिखलपुटी एन.एच. 30 के कि.मी. 230/10 तक. (ख) राज्य बजट से स्वीकृत लंबाई 8.727 कि.मी. केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कोई स्वीकृति अथवा आवंटन प्रावधानित नहीं है, इसी प्रकार इसमें से कोई राशि व्यय नहीं की गई. (ग) निश्चित तिथि बताया जाना संभव नही.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कोंडागांव शहर में बायपास निर्माण के संबंध में जानना चाहा था । मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या कोंडागांव बायपास निर्माण पर तत्कालीन विभागीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के द्वारा अनुमोदित एलाइनमेंट असहमति जताकर मूल प्रशासकीय स्वीकृति में संशोधन हेतु कहा गया, यदि हां तो कब व किन कारणों से ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जानकारी चाही गई है कि पुराने एलाइनमेंट और एस्टीमेट में बदलाव हुआ क्या ? मैं बताना चाहूंगा कि लोक सुराज अभियान 2016 के दौरान 09.05.2016 को कलेक्टर कार्यालय के मीटिंग हॉल में तत्कालीन माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत अनुमोदित एलाइनमेंट पर असहमति जताई गई । तत्पश्चात मंत्री महोदय द्वारा पुन: एलाइनमेंट निर्धारण हेतु निर्देशित किया गया । कारण, उसमें वनभूमि ज्यादा आ रही थी । इसलिए जो शिकायतें हुईं, उसके आधार पर नया एलाइनमेंट तैयार किया गया और उसके बाद फिर उसको स्वीकृति दी गई ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, विभागीय मंत्री जी की असहमति के बाद संशोधित की गई प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुन: मूल प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर ही कार्य करने को कहा गया । यदि हां तो कब ? यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पुराने पर ही काम करने को कहा । क्या यह सही है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, अभी तक पुराने पर काम करने के लिए किसी ने नहीं कहा है । नया एलाइनमेंट जो बना है, उसी के आधार पर काम करने की प्रक्रिया है ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, 9 मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने विभाग को फिर से निर्देशित किया कि आप फिर से पुराने पर काम करिये । यानी लगातार समय की बर्बादी हुई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बायपास निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? प्रभावित 105 किसानों को किस दर पर मुआवजा दिया जाएगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्षमहोदय, बहुत लम्बी जानकारी है, अगर आप कहें तो मैं पूरा पढ़ दूं ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल और प्वाइंटेड प्रश्न है । 105 किसानों को आप किस दर पर मुआवजा देंगे और उस बायपास निर्माण की 2016 से लेकर अभी तक की अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- 2016 से 2019 तक की अद्यतन स्थिति पूछ रहे हैं । यह काफी लम्बी जानकारी है ।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी आपके कक्ष में आ जाएंगे, आप उनको बता दीजिएगा।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है । बायपास का काम कब तक शुरू किया जाएगा । क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता 16 तारीख को बस्तर में आ रहे हैं । बायपास के पास ही मक्का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रोसेसिंग प्लांट लगना है। इसलिए मैं इसकी प्रगति के संबंध में आपसे क्या उम्मीद करूं, कब तक वह काम शुरू करेंगे । मैं चाहता हूं कि आप इस सदन में आश्वस्त करें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता से मुझे लग रहा है कि वह कार्य जल्दी हो । लेकिन कार्य में विलम्ब का मूल कारण वन भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया है । उस पर कार्य चल रहा है उसमें कुछ वनभूमि है, कुछ निजी भूमि है । वनभूमि का हस्तांतरण अभी नहीं हुआ है, इसलिए विलम्ब हो रहा है और दर का निर्धारण कलेक्टर वहां के हिसाब से करेंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय मंत्री जी कुछ तो समय होगा, एक साल, दो साल।

अध्यक्ष महोदय :- आपके लिए मेरे ख्याल से यथाशीघ्र कहना ज्यादा ठीक होगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जल्द जल्द ।

श्री मोहन मरकाम :- धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम जल्द से जल्द बोलते थे तो कूद पड़ते थे । बहुत बहुत बधाई आपको । बहुत अच्छा आश्वासन मिला जल्द से जल्द का । बधाई लीजिए, बढ़िया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय जोगी जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही सिच्वेशन भूमि अधिग्रहण का रोड के निर्माण में मेरे भी क्षेत्र का जोगरा और चिल्हाटी का बहुत दिनों से पेंडिंग है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न आयेगा तो देख लेंगे।

<u>मरवाही विधानसभा क्षेत्र के बजट में सम्मिलित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति</u>

2. (*क्र. 240) श्री अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 के बजट में शामिल विधानसभा क्षेत्र मरवाही के किन-किन पहुंच मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ? (ख) किन-किन पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. के बजट 2016-17 के संबंध में हीं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि मेरा प्रश्न उसी वर्ष के बजट पर है। उस वर्ष कुल 13 पहुंच मार्ग स्वीकृत किये गये थे और उसके बाद से अब तीसरा बजट आ गया। इन 3 सालों में उन 13 मार्गों में से केवल 4 मार्गों की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 9 मार्गों की प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिली है। मेरे पहले पूरक प्रश्न का अ खण्ड यह है कि बाकी 9 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति कब तक दे देंगे और ये कौन-

[1] † परिशिष्ट एक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कौन से कार्य हैं, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति आप अभी तक नहीं दे पाये हैं। क्यों नहीं दे पाये हैं ? इन कार्यों की लागत कितनी है? और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया किस स्टेज पर लंबित है। इन 9 कार्यों की वर्ष 2016-17 के बजट के शेष 9 कार्यों में।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी ने जो जानकारी चाही है 4 जो उनको दिया जा चुका है शेष 9, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। वित्तीय संसाधन के उपलब्धता के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। शेष के संबंध में निश्चित तिथि बताया जाना अभी संभव नहीं है और जो स्वीकृति नहीं मिली है। 9 जिनके विषय में जानना चाहते हैं वह है जिला बिलासपुर के मरवाही क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण का है। पटखोरी झेरना मार्ग पर तिपान नाला। दूसरा है बिलासपुर के मुख्य सड़क दुमहानी बोकरागुड़ा, पिपरबहरा, टिकर खुर्द मार्ग लंबाई 5 किलोमीटर। तीसरा है जिला बिलासपुर के कुदरी से झाबर पहुंच मार्ग मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य लंबाई 4 किलोमीटर। चौथा है जिला बिलासपुर के कुदरी से अंडी पहुंच मार्ग मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण लंबाई 4 किलोमीटर। पांचवां है जिला बिलासपुर के देवरीकला से झाबर मार्ग मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण लंबाई 3.15 किलोमीटर। छठवां है जिला बिलासपुर के सिलपहरी से बरगवां पहुंच मार्ग मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण लंबाई 5 किलोमीटर। सातवां है जिला बिलासपुर के करहनिया से कछार मार्ग मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण लंबाई 5 किलोमीटर। आठवां है जिला बिलासपुर के तेंदूमुड़ा से बगरार मार्ग मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण, नवां है जिला बिलासपुर के कर्गीखुर्द से रामगढ़ तक सड़क मजबूतीकरण। जिला बिलासपुर के तेंदूमुड़ा से बगरार पहुंच मार्ग मजबूतीकरण। जिला बिलासपुर के दर्री से गुम्माटोला पहुंच मार्ग मजबूतीकरण।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं। कुल 13 कार्य 3 साल पहले मंजूर हुए। हम लोगों को विधायकों को खुश करने के लिए माननीय मंत्री जी ने बजट में तो शामिल कर दिया, अब कह रहे हैं कि पैसा नहीं है इसलिए मंजूर नहीं करेंगे। प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देंगे। तो मेरा अनुरोध यह है कि जिनको बजट में शामिल कर दिया अब आगे से मत करना शामिल कर दिया, अब आगे शामिल मत करना। परन्तु जिनको 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले से शामिल किया हुआ है, उनकी तो प्रशासकीय स्वीकृति दीजिये। आप मुझे आज प्रश्न पूछने का कम से कम इतना लाभ तो दीजिये कि जो 9 प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है, उनमें से कम से कम 2 की अभी घोषणा कर दीजिये कि मैं इन 2 की करूंगा। वह जो तूफान नाला में जो पुल बनना है, उसकी घोषणा कर दीजिये कि मैं उसको कर दूंगा। मैं कुछ तो खुश हो जाऊं। आपने 13 में से 9 का कह दिया कि पैसा नहीं है, हम देंगे ही नहीं, तो फिर बजट में लाने से क्या फायदा ? 3 साल पहले भी आया, 4 साल पहले भी आया, 2 साल पहले भी आया, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रश्न पूछा और लाटरी में प्रश्न आ गया, आपके सामने आ गया। अध्यक्ष महोदय, इतना सरंक्षण तो दीजिये कि 9 में से कम से कम 2 की घोषणा कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- आपको पूरा सरंक्षण है। मरवाही क्षेत्र कभी मेरा भी क्षेत्र रहा है। (हंसी)

श्री अजीत जोगी :- इसलिए आपका और भी ज्यादा साफ्ट कार्नर है। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि तूफान नाले पर पुल को तो मंजूर कर दीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह काफी पुराना प्रकरण है और चला आ रहा है। अभी बजट पेश हुआ है। इस पर यहां कोई घोषणा या आश्वासन तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन माननीय जोगी जी को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी तरह से इसका प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्राप्त हो सके।

श्री अजीत जोगी :- 9 में से 1 का कह रहा हूँ, 1 का तो बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, सदन में आपकी ताकत बढ़ती है। सदन की गरिमा बढ़ती है और आपका अधिकार भी दिखता है। यदि आपके पास अधिकार है और आप सदन की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह बात जरूर बोलनी चाहिए, चाहे सदन में किसी के लिए बोले। यह तो टालने वाली बात है, फिर क्या उत्तर हुआ ? आप इतने बड़े मंत्री हैं, इसलिए विभाग से कहना चाहिए। इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी।

श्री अजीत जोगी :- सिंचाई विभाग भी आपके पास, पी0डब्ल्यू0डी0 भी आपके पास है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन की गरिमा बढ़ाने का पूरा काम करता हूँ। प्रयास भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी, आपका लोकसभा क्षेत्र रहा है। मेरा तो जन्म वहीं हुआ है। मेरा विधान सभा क्षेत्र भी रहा है। आपका सरंक्षण मिल जाए। आप मंत्री जी को आदेश तो करिये कि कम से कम एक तो मंजूर करें या मंत्री जी इतने कमजोर हैं कि एक की भी घोषणा नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जवाब दीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जवाब दे दिया कि मैं इसका प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी तरफ से और ज्यादा प्रयास करिये, जोर से। (हंसी)

श्री ताम्रध्वज साहू :- बिलकुल प्रयास करूंगा। एक का प्रस्ताव और एक का समर्थन, जरूर प्रयास करूंगा।

श्री अजीत जोगी :- अगर केवल प्रयास करेंगे तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब और पूछने से फायदा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, यदि बार-बार वही शब्द कहेंगे तो हमको यह कहना पड़ेगा कि आप प्रयास के लायक रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। क्योंकि धर्मजीत सिंह ने कहा कि इधर का विभाग गाली वाला है और इधर का ताली वाला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री तामध्वज साहू :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं किस योग्य रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैं जैसा रहूंगा, जहां रहूंगा, मुझे संतुष्टि रहती है। इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता कि मैं कहां रहूंगा, कहां नहीं रहूंगा। पंच से शुरू हुआ, फिर नवयुवक मंडल अध्यक्ष था और आप सबने 4 बार विधायक, मंत्री और सांसद सब बनाया। मैं सबमें संतुष्ट हूँ। इसलिए मेरी चिंता न करें। (मेजों की थपथपाहट)

<u>महासमुंद जिलांतर्गत विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरण</u>

3. (*क्र. 289) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला महासमुंद के थानों में वर्ष 2014 से 2018 तक कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? दर्ज किये गये प्रकरणों में कितने प्रकरण में चालान प्रस्तुत किये गये ? कितने प्रकरणों में खात्मा/खारिजी भेजी गई ? कितने प्रकरण थानों में लंबित है ?

गृह मंत्री (श्री तामध्वज साहू) : प्रश्नाधीन अवधि में जिला महासमुंद के थानों में कुल 16,727 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें से 14,353 प्रकरणों में चालान पेश किया गया, 1758 प्रकरणों में खात्मा एवं 189 प्रकरणों में खारजी भेजी गई है. 427 प्रकरण वर्तमान में थानों में लंबित है.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा गृह विभाग से प्रश्न था कि जिला महासमुन्द के थानों में वर्ष 2014 से 2018 तक कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? दर्ज किए गए प्रकरणों में कितने प्रकरण में चालान प्रस्तुत किएगए ? कितने प्रकरणों में खात्मा/खरिजी भेजी गई ? कितने प्रकरण थानों में लंबित है ? माननीय मंत्री महोदय, मेरा मूल प्रश्न 2013 से था। मुझे 2014 से उत्तर मिला है। प्रश्न को गलत ढंग से समझा गया है। मैंने वर्ष एवं थाना अनुसार पृथक-पृथक पूछा था, लेकिन जवाब एक्जाई करके दिया गया है। जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि किन थानों में कितने प्रकरण लंबित है ? अध्यक्ष महोदय, मुझे थाना एवं वर्ष अनुसार लंबित प्रकरणों की जानकारी नहीं दी गई है।

श्री तामध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिला महासमुन्द के थानों में वर्ष 2014 से ही पूछा था, 2013 से नही। इसलिए हम लोगों ने 2014 से उत्तर दिया । मूल प्रश्न ही है कि जिला महासमुन्द के थानों में वर्ष 2014 से 2018 तक कितने प्रकरण दर्ज किये गए, दर्ज किए गए प्रकरणों में कितने प्रकरण में चालान प्रस्तुत किए गए, कितने प्रकरणों में खात्मा/खारिजी भेजी गई, कितने प्रकरण थानों में लंबित है? ये आंकड़ा उन्होंने पूछा है, उसके अनुसार हमने जवाब दिया है । प्रश्नाधीन अवधि में जिला महासमुंद के थानों में कुल 16,727 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 14,353

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रकरणों में चालान पेश किया गया, 1758 प्रकरणों में खात्मा एवं 189 प्रकरणों में खारिजी भेजी गई, 427 प्रकरण वर्तमान में थानों में लंबित है । माननीय सदस्य अगर कोई पूरक प्रश्न करें तो मैं उसकी जानकारी वर्षवार थानेवार देने को तैयार हूं ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, 427 प्रकरण थानों में लंबित हैं । ये प्रकरण किन वर्षों से लंबित है, लंबित प्रकरणों को कब तक निकाल किया जायेगा, महासमुन्द थाने में कितने प्रकरण कब से और क्यों लंबित हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 427 प्रकरण जो थानों में विवेचनाधीन है, ये सब अलग-अलग थानों में है । माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी, उसके हिसाब से हमारे पास वर्षवार भी जानकारी है। वर्ष 14, 15, 16, 17, 18 सभी की जानकारी है । 427 प्रकरण जो लंबित हैं, वह अलग-अलग थानों के हैं, उनमें से अगर वे स्पेशिफिक कोई चीज की किसी थाने की जानकारी चाहते हों तो वे बता दें, वरना महासमुन्द जिले में काफी थाने हैं ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे महासमुन्द की जानकारी दे देंगे, महासमुन्द विकासखण्ड की, महासमुन्द में महासमुन्द, पटेवा, तुमगांव ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महासमुन्द के विभिन्न थानों में 427 प्रकरण विवेचनाधीन है, उसको शीघ्र से शीघ्र निकालकर हम लोग करना चाहते हैं और अलग से सिर्फ महासमुन्द थाने का जहां तक प्रश्न है, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं, उसमें कुल 800 प्रकरण दर्ज हुए थे, 637 चालान प्रस्तुत किए गए, 146 प्रकरणों में खात्मा किया गया, 16 खारिजी भेजी गई और थाने में इस समय प्रश्नाधीन अवधि में कुल 1 प्रकरण लंबित हैं, जो महासमुन्द थाने का है ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1758 प्रकरणों में खात्मा भेजा गया है । खात्मा भेजने की वजह क्या थी, अपराधों की प्रकृति क्या थी ? 1758 प्रकरणों में कितने खात्मा न्यायालय से स्वीकृत करा लिए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, इसकी जानकारी आप मंत्री जी के कक्ष में जाकर ले लीजिएगा ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। 189 प्रकरणों में खारिजी भेजी गई है, खारिजी किन-किन थानों से भेजी गई, खारिजी के बाद कितने प्रकरणों में प्रार्थियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की गई है ? थानानुसार बताएं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न विस्तृत है, जाकर जानकारी ले लें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न उद्भूत नहीं होता, विस्तृत है । मैं अलग से जानकारी दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानकारी दे दीजिएगा । सौरभ सिंह जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>अकलतरा नगर पालिका अंतर्गत जल आवर्धन योजना की स्वीकृति एवं लागत</u>

4. (*क्र. 327) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका के अंतर्गत पेयजल समस्या के निराकरण के लिए नवीन जल आवर्धन योजना की स्वीकृति कितनी लागत से कब की गई है ? (ख) उपरोक्त योजना पर काम कब से प्रारंभ होगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका के अंतर्गत पेयजल समस्या के निराकरण के लिए नवीन जल आवर्धन योजना हेतु राशि रु. 2446.17 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.01.2018 को प्रदान की गई है. (ख) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री जी का मंत्री बनने के बाद पहला प्रश्न है और पहला दिन है ।

अध्यक्ष महोदय :- ढेर सारे प्रश्न उन्हीं के हैं, पूरे प्रश्न उन्हीं के है।

श्री सौरभ सिंह :- ये पहला प्रश्न है, अभी तो माननीय ताम्रध्वज साहू जी का था।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए आप भी थोड़ा साफ्ट रहिएगा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया है कि योजना की स्वीकृति 27.1.2018 को हुई थी । मैं जानना चाहता हूं कि काम कब दिया गया, किस एजेंसी को दिया गया और काम कब चालू होगा ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछ है, उसमें 2446.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति 27.1.2018 को जारी हुआ था और इसके लिए टेण्डर प्रक्रिया पूरी करके मेसर्स अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को दिया गया था, लोवेस्ट था, लेकिन इसमें जो निर्धारित राशि है, उससे ज्यादा राशि होने के कारण टेण्डर निरस्त कर दिया गया था । दूसरी बार जब टेण्डर हुआ, उसमें मेसर्स तापी पृष्ट रेट प्रायवेट लिमिटेड उन्हीं को दिया गया था, जो लोवेस्ट था, 2252.18 लाख । प्रारंभिक काम इन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में शुरू नहीं किया । उसमें साढ़े पांच माह का विलम्ब हुआ है, फिर टेण्डर लगाया गया । चूंकि इन्होंने काम नहीं किया है, गडबड़ी की है, हम इस कंपनी को ब्लेक लिस्टेड करने के लिए पी.डब्लू.डी. को प्रस्ताव भेज रहे हैं । अभी निविदा बुला ली गयी थी । निविदा आ गई है । वह ओपन भी हो गया है । मे. मल्टी नेशनल इन्फ्रा सर्विसेज नागपुर को दिया गया है । निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि गरमी आ रही है । अकलतरा में पानी की भीषण समस्या रहती है । पानी वहां रहता नहीं है । मेरा आपसे निवेदन है, तीसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी काम कब से चालू करेगी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिशीघ्र ।

<u>छत्तीसगढ़ प्रदेश के जेलों में कैदियों की मृत्यु</u>

5. (*क्र. 402) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में जेल में कितने कैदियों की मृत्यु हुई ? वर्षवार, जेल के नाम सहित बतायें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : छत्तीसगढ़ प्रदेश की जेलों में वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) में कुल 53 कैदी, वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक) में कुल 57 कैदी तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 28.01.2019 तक) में कुल 44 कैदियों की मृत्यु हुई हैं. वर्षवार एवं जेलवार जानकारी परिशिष्ट में †[2] संलग्न है.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वर्ष 2016-2017, 2017-2018, वर्ष 2018-2019 में जेल में कैदियों की मृत्यु पर था । मैंने अलग-अलग जेलों की भी जानकारी चाही थी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिला जेल जांजगीर में, वर्ष 2018-2019 में आपने एक कैदी की मृत्यु बताया है । मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक ही कैदी की मृत्यु हुई ? इस दौरान जिला जांजगीर चांपा के जेल में दो कैदी की मृत्यु हुई । कृपया मंत्री जी बतायेंगे और कैदी का नाम भी बता देंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, जिला जेल जांजगीर में वर्ष 2016-2017 में कोई मौत नहीं हुई है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वर्ष 2018-2019 में ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-2019 में एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु हुई है । चूंकि उसका नाम मेरे पास नहीं है, मैं नाम आपको अलग से बता दूंगा ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8-1-2019 को जिला जेल जांजगीर में गौरव तम्बोली, जिसका उम्र 19 साल था, विचाराधीन कैदी था, उसकी मृत्यु हुई । मृत्यु के उपरान्त उनके पत्नी के द्वारा जिला के कलेक्टर को, जिला के एस.पी. को गिरफ्तार किया गया, जेलर की लापरवाही के

---

[2] परिशिष्ट "दो"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कारण और वहां के डॉक्टर के सही ढंग से इलाज नहीं करने के कारण और बीमार रहने पर उसको बाहर ले जाकर नहीं दिखाने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह क्या सही है, उनके द्वारा दंडाधिकारी जांच की भी मांग की गई
है । क्या उनकी पत्नी के द्वारा न्यायिक जांच की मांग की गई है, कृपया बतायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने वर्ष 2018-2019 तक की जानकारी चाहा था, इसलिए वहां तक की जानकारी हम लोगों ने लिखित में दिया है । यह 8-1-2019 की घटना जो अभी पूरक प्रश्न में पूछ रहे हैं, उनके 2018-2019 के दिसम्बर तक की बात उन्होंने कही थी ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता दें कि वित्तीय वर्ष कौन सा है । मैंने स्पष्ट लिखा है, वित्तीय वर्ष ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं जानकारी दे देता हूँ । आज जिला जेल जांजगीर में 8-1-2019 को बंदी गौरव कुमार तम्बोली की मृत्यु के संबंध में आप जानकारी चाह रहे हैं । उसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है- विचाराधीन कैदी गौरव कुमार तम्बोली, आत्मज पंचराम तम्बोली, अपराध क्रमांक 447 यह जेल में 5-8-2018 को सायंकाल 5.30 बजे जेल दाखिल हुआ । 5-8-2018 से लेकर 5-1-2019 तक प्रात: 11.00 बजे तक जेल में स्वस्थ रहा । 8.1.2019 को प्रात: 11.00 बजे विचाराधीन बंदी का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिलने पर जेल चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. धुर्वे द्वारा बंदी का आवश्यक उपचार किया गया । उपचार पश्चात बंदी स्वस्थ रहा । 8.1.2019 को ही लगभग रात्रि 8.30 बजे विचाराधीन बंदी का स्वास्थ्य पुन: खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर 8.45 बजे जेल गार्ड एवं फार्मासिस्ट के माध्यम से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय जांजगीर भेजा गया, जिसकी दूरी जेल से लगभग 9 किलोमीटर है। जिला चिकित्सालय पहुंचने पर ड्यूटीरत चिकित्सा अधिकारी द्वारा विचाराधीन बंदी का परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरांत रात्रि 9.30 बजे बंदी को मृत घोषित कर दिया गया। विचाराधीन बंदी के मृत्यु की सूचना बंदी के परिजनों को दी गई। सिटी कोतवाली जांजगीर में मर्ग कायम कराया गया। बंदी के मृत्यु उपरांत दो चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई, वीडियोग्राफी की गई। विचाराधीन बंदी के मृत्यु की दंडाधिकारी जांच हेतु दिनांक 09-01-2019 को जिला दंडाधिकारी जांजगीर से निवेदन किया गया है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने केवल एक कैदी की जानकारी दी है। क्या 07 नवंबर, 2018 को जिला जांजगीर चांपा की जेल में कैदी नरेन्द्र बरेड जी की मृत्यु हुई थी?

प्रश्नोत्तर/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू:- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से नाम सहित जानकारी दे दूंगा क्योंकि पूरे जांजगीर जिले की अलग-अलग जेलों में 154 कैदियों की इस दरमियान मौतें हुइ हैं इसलिए मैं इनका नाम अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वर्ष 2018-19 में केवल एक ही कैदी की जानकारी दी गई है जबकि मृत्यु दो कैदियों की हुई है, मैं नाम सहित तिथिवार बता देता हूं। माननीय मंत्री जी के उत्तर में वर्ष 2018-19 में दिनांक 01-04-2018 से 28-01-2019 तक की जानकारी है जबकि उनकी मृत्यु 08 जनवरी में हुई है और जानकारी 28 जनवरी तक की दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे-सीधे बात करिये ना?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो दो कैदियों की मृत्यु हुई, और मंत्री जी का जवाब आया कि एक कैदी की हुई है। दूसरी बात की उनकी पत्नि शिकायत की है कि वहां सही ढंग से इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हुई और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या आप उसकी जांच करायेंगे और यदि दो कैदियों की मृत्यु हुई है और एक कैदी की जानकारी आई है इसके लिए आप जांच करवायेंगे ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके और शासन का प्रावधान होगा तो उस परिवार को मुआवजा दिलवाने का भी कष्ट करें?

श्री ताम्रध्वज साहू:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि 09-01-2019 को जिला दंडाधिकारी जांजगीर से दंडाधिकारी जांच का निवेदन किया गया है, जांच होने पर पूरा साफ हो जायेगा कि उनकी मौत किस कारण से हुई, कैसे हुई, मुआवजा कितना देना है, सब जांच के बाद स्पष्ट हो जायेगा। दंडाधिकारी जांच में जैसी जानकारी आयेगी उसके अनुसार हो जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि दो कैदियों की मृत्यु हुई, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि एक कैदी की मृत्यु हुई। दंडाधिकारी जांच उसके इलाज या मृत्यु की प्रक्रिया पर है। चूंकि सदन में दो मत आ रहे हैं और माननीय सदस्य पूरी जिम्मेदारी से पूरे सदन के सामने इस बात को कह रहे हैं कि दो कैदियों की मृत्यु हुई है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि सदस्य जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि दो कैदियों की मृत्यु हुई है, तो आप इसकी जांच प्रश्न एवं संदर्भ समिति से कराने का कष्ट कीजिए या नहीं तो माननीय मंत्री जी स्पष्ट तौर पर सदन को बताएं कि दो है या एक है? यह भ्रम की स्थिति है। या तो इसकी जांच सदन की समिति से की जानी चाहिए या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जिससे आप उचित समझें उससे इसकी जांच होनी चाहिए? यह एक और दो मृत्यु का सवाल नहीं है बल्कि सदन की विश्वसनीयता, मंत्री जी की विश्वसनीयता, विभाग की विश्वसनीयता और माननीय विधायक जी की विश्वसनीयता का सवाल है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी दंडाधिकारी जांच की कभी रिपोर्ट आती ही नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, वैसे भी दंडाधिकारी जांच का रिपोर्ट कभी आता ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, दंडाधिकारी जांच तो मृत्यु के कारणों पर हो हो रही है। संख्या का सवाल है, एक मरे हैं या दो मरे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि हमने दंडाधिकारी से निवेदन किया है। आप आदेश देंगे, हमने आदेश दिया है बोलिए, निवेदन थोड़ी करते हैं। मंत्री दंडाधिकारी से कोई निवेदन करेगा क्या? अध्यक्ष महोदय, कोई रिपोर्ट नहीं आता। दंडाधिकारी जांच लिपा पोती का सबसे बड़ा अस्त्र है। इसलिए विधानसभा की समिति से जांच करा लीजिए या अध्यक्ष जी आप जा के खुद कर लीजिए। आप ही के जिले का मामला है, आप ही खुद कर लीजिए न या गृहमंत्री जी खुद जा के सामने में जांच करा लें। अध्यक्ष महोदय, ये दंडाधिकारी क्या होता है जिसको गोल मोल करना है उसको दंडाधिकारी को देते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, दंडाधिकारी जांच तो मृत्यु के कारणों पर हो रही है। एक मरे हैं या दो मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी मैं आपकी बात समझ चुका हूं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, चाहे जिस कारण से मरे हों, दंडाधिकारी जांच का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आज तक के कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष जी, जो सूची हमने उपलब्ध कराई है, उसमें दो कैदी बड़ा स्पष्ट है, शान अलग अलग है। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे 2017-18 में विचारधीन कैदी एक की मौत हुई है और उसके बार 2018-19 में फिर से एक विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। दो कैदी की मौत का उल्लेख हमने जानकारी दी है। अलग से उसने जो पूछा गौरव कुमार तंबोली की उसकी भी जानकारी मैंने दी है। अगर सदस्य ये कह रहे हैं कि 2018-19 में दो कैदी की मौत हुई है तो मैं दिखवा लूंगा और गलत जानकारी .....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है कि उस अवधि में माननीय सदस्य कह रहे हैं, दो की मृत्यु हुई है, उसमें दिखवाने का सवाल नहीं है। ये सदस्य की विश्वसनियता का सवाल है। सदन की विश्वसनियता का सवाल है। ये दिखवाने का विषय नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी, धीरे बोलिये न, आराम से बोलिये न क्या हो गया है आपको?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है कि 2018 -19 में केवल एक कैदी की मृत्यु हुई।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बैठिये आप, माननीय मंत्री जी बैठिये ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में गंभीर विषय है। आप भी उसी जिसे से है और हम लोग दूसरे जिले से हैं। लगातार, सिर्फ जांजगीर का सवाल नहीं है। लगातार प्रदेश के जेलों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, कैदियों की मौत हो रही है, वहां पर ईलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए, आप आसंदी से शासन को कोई स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, सदस्य महोदय दो मौत की बात कह रहे हैं, मंत्री जी एक मौत पर अटके हैं। इसमें छोटा बड़ा आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है, जो घटना हुई है, हुई है। अगर उसकी जांच दंडाधिकारी से ज्यादा ऊपर स्तर का उच्च स्तरीय जांच आप कराने की घोषणा करेंगे, तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूटेगा और न कोई बादल फटेगा। इसमें जांच कराने में क्या तकलीफ है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्मानीय अध्यक्ष जी, अगर जो कैदी की मौत की बात सदस्य जी कह रहे हैं, कौन कैदी है, उनका नाम तो खुद ही उल्लेख कर दें, यहीं बात हो जाएगी उसमें क्या है?

श्री केशव चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो नाम भी बताया हूं। 7 नवंबर 2018 को नरेन्द्र बरेठ की मृत्यु हुई उसी जेल पर और गौरव तंबोली की 08-01-2019 को मृत्यु हुई। मैं पहले भी नाम का उल्लेख किया हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, 2018 वाला तो एक इसमें आ गया न, मैं भी तो दो कह रहा हूं। 2018 में एक और 2019 में एक मैं भी तो दो कह रहा हूं न। मैं भी तो दो की सूची दे रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है कि प्रश्नाधीन अवधि में दो कैदियों की मृत्यु माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इस सदन में बोल रहे हैं। प्रश्नाधीन अवधि में माननीय मंत्री जी, एक ही बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की समिति के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए और प्रदेश में सदन की समिति से जांच होनी चाहिए कि प्रदेश में लगातार जेलों में इस प्रकार की मृत्यु होना निरीह लोगों की मृत्यु होना और उनके परिवार के साथ में किसी भी प्रकार की सहानुभूति सरकार के द्वारा नहीं दिखाया जाना, यें गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आपके ही जिले का मामला है और हम चाहेंगे कि सदन के समिति के माध्यम से आप इसकी जांच करवायें जिससे की भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो और इस प्रकार के गलत जवाब न आये और अगर जवाब गलत आ रहा है तो ये पूरे सदन की अवमानना है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, पूरे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदन की अवमानना है। प्रश्नाधीन अवधि में दो मृत्यु हुई है और माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि प्रश्नाधीन अवधि में दो मृत्यु हुई है। आपको इसको जांच के लिए निर्देशित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी दो मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी केशव चंद्रा जी आप इस प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट हैं तो आधे घंटे की चर्चा लीजिए, फिर बाद में चर्चा होगी।

श्री केशव चंद्रा:- नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है संतुष्ट असंतुष्ट होने की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी अभी भी बोल रहे हैं 2018 की बात, ये उन्होंने स्पष्ट उत्तर पर लिखा है कि वर्ष 2018-19 में दिनांक 01-04-2018 से 28-01.2019 तक उसमें उन्होंने एक मृत्यु का जिक्र किया है। मेरा कहना है कि उस अवधि पर नरेन्द्र बरेठ मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम नरियरा के हैं उनकी 7 नवम्बर, 2018 को मृत्यु हुई और गौरव तम्बोली की 08.01.2019 को मृत्यु हुई। इसमें जांच करवा लें, इसमें आधे घण्टे की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। जांच करा लेंगे, मगर आप असंतुष्ट हैं और कुछ जानकारी रखना चाहते हैं तो आप चर्चा ले सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक लोक महत्व का विषय है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में माननीय सदस्य की जो भावना और जिन परिस्थितियों में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर उन्होंने जो नाम भी बता दिया, उसके बाद मंत्री जी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उसमें आधे घण्टे की चर्चा करायेंगे तो चर्चा में सारी यही बात आएगी। एक की मृत्यु हुई या दो की मृत्यु हुई? मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक की मृत्यु हुई है सदस्य जी बोल रहे हैं कि दो की मृत्यु हुई है उन्होंने नाम भी बता दिया और तारीख भी बता दी और यदि इसके बाद मानने को तैयार नहीं है तो आसंदी से यही अपेक्षा करेंगे कि सदन की समिति से उसकी जांच कराने का आदेश कर दें तो जांच करा देंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा में भी वे कोई स्वीकार तो नहीं कर लेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- वे स्वीकार तो अभी कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसमें उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसमें घोषणा कर दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से घोषणा करिये, आपसे इतना ही तो आग्रह है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दो मौत हुई, मंत्री जी स्वीकार भी कर रहे हैं दोनों नाम जो कहा, माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया। अभी आपने, अजय जी ने भाषण दे दिया कि सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। अरे भईया पहली मौत तो आप ही के कार्यकाल की हुई थी, सरकार में कौन थे? सहानुभूति किसकी थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आप आज के प्रश्न की बात करें, हमारे कार्यकाल की बात क्यों कर रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय चौबे जी, इनके कार्यकाल का है एक एस.आई.टी. और बना दीजिए। इसी विषय पर एस.आई.टी. बना दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय आप परेशान मत होईये, जहां-जहां जरूरत होगी, एस.आई.टी. बनेगी। जांच होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह हम बोल चुके हैं कि एक एस.आई.टी. इसलिए बनाये कि किस-किस चीज में एस.आई.टी. बना दें?

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सलाह दे रहे हैं हम एस.आई.टी. बनायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसके लिए तैयार हैं।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य किस बात की जांच चाहते हैं ये जरा स्पष्ट हो जाए? आप नाम की बात किये, मंत्री जी स्वीकार किये, आपने दो मौत की बात की, वर्ष 2019 का जो नाम था, मंत्री जी बता रहे हैं कि वह है, दूसरी मौत भी हुई है। वे स्वीकार कर रहे हैं। एक मिनट अजय जी, आप जांच क्या चाहते हैं ? कुछ तो स्पष्ट हो तब तो मंत्री जी आगे बढ़े। आप बार-बार कह रहे हैं कि एक मौत हुई, इन्होंने स्वीकार नहीं किया इसलिए जांच चाहते हैं। वह तो स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी मौत को भी स्वीकार कर रहे हैं। आप बता दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी कहां स्वीकार कर रहे हैं? वर्ष 2018-2019 में दो मृत्यु हुई, वह तो वर्ष 2017-2018 में एक मृत्यु हुई और वर्ष 2018-2019 में एक मृत्यु हुई, करके स्वीकार कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बिन्दु ये है कि प्रश्नाधीन अवधि में दो मृत्यु हुई है। पूरे सदन में मैंने जिम्मेदारी से भाषण नहीं दिया, जो प्रश्नाधीन अवधि है, उसमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं। वे दो मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं। आप फिर से पढ़ लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, वर्ष 2017-2018 बोल रहे हैं। माननीय सदस्य 2018-2019 बोल रहे हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन अवधि में दो मौत हुई है हमने नाम बताया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है कि अगर विधान सभा के सामने अगर गलत जानकारी उपलब्ध करवाना, शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, ये विधान सभा का अपमान है और इसलिए आपको विधान सभा की समिति, विधान सभा के माध्यम से इसकी जांच करवाना चाहिए कि वास्तव में क्या अधिकारियों ने, माननीय मंत्री जी के माध्यम से पूरे सदन को गुमराह किया है गलत जानकारी दी है। क्योंकि माननीय सदस्य जो हैं, वह पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि प्रश्नाधीन अवधि में दो मृत्यु हुई है और माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विधान सभा को गलत जानकारी दी गई है, गुमराह किया गया है और इसलिए विधान सभा की समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। विधान सभा की समिति, प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करवा दें। प्रश्न एवं संदर्भ समिति तो सामान्य परंपरा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह दूसरी अवधि में स्वीकार कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और ऐसी स्थिति में आसंदी से ही निर्णय होता है। ऐसी स्थिति में इसके पहले भी आसंदी से इसी प्रकार का निर्णय किया गया है। ये आपसे आग्रह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल स्थापित हो चुका है। दोनों बात में ये स्थापित हो चुका है कि प्रश्नाधीन अवधि में दो मृत्यु का नाम बताया गया है, आप स्वीकार कर रहे हैं वह दूसरी अवधि का है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसकी जांच करायी जाये। आपका विवेक है कि आप जिस समिति से जांच करायें। जे.बी.सी. से करवायें, प्रश्न एवं संदर्भ समिति से करवायें, किसी से करवायें, पर इसमें आपसे आग्रह है कि जांच करवायी जाये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में गंभीर मामला है और आसंदी से सरकार को निर्देशित होना चाहिए। सदन की कमेटी की जांच की घोषणा हो जाए तो बेहतर होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एवं संदर्भ समिति आपके विवेकाधीन है और आप उस पर निर्णय कर सकते हैं। प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आप इस प्रश्न को भेज दें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें आपको इस बात की भी आवश्यकता नहीं है, कोई सरकार से सहमति की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार का हम आरोप-प्रत्यारोप लगा ही नहीं रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाह रहे हैं कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आप सौंप दें और वे इसकी जांच कर लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं कि जिसमें कोई संशय की स्थिति हो। जो तथ्य हैं वह उससे सामने आएंगे।

श्री तामध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो इसमें अलग-अलग कमेटियों से जांच कराने की आवश्यकता है, उन्होंने वर्षवार जानकारी पूछी है, मैंने वर्षवार जानकारी दी है। 2017-18 में एक मौत हुई है, 2018-19 में एक मौत हुई है। उन्होंने तिथिवार जानकारी नहीं पूछी है, उनने वर्षवार, थानेवार जानकारी पूछी है, वह मैंने जानकारी दी है और बिल्कुल सही जानकारी दी गई है। किसी भी प्रकार से न सदन को गुमराह करने की मंशा है न ही किसी भी प्रकार की बात है। जो दंडाधिकारी जांच के लिए लिखा गया है, जैसे ही स्वीकृत होगी, दंडाधिकारी जांच की रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार मुआवजा देने या दंडित करने की बात आयेगी, वह आयेगी। हम बराबर स्पष्ट तौर पर सदन में सही जानकारी दे रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी का जवाब देख लीजिए, इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से तिथि का उल्लेख किया है कि इस तिथि से इस तिथि के बीच में 01 मृत्यु हुई है, इस तिथि से इस तिथि के बीच में एक मृत्यु हुई है। यह स्पष्ट उनके उत्तर में हैं। इसीलिए मैंने पूछा है कि क्या दूसरी मृत्यु हुई है? जबकि ये सत्य है कि दूसरी मृत्यु भी 2018-2019 में हुई है जो तिथि माननीय मंत्री जी उसमें दिये हैं।

श्री अजीत जोगी :-माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सामान्य या साधारण घटना नहीं हैं। जेल में मृत्यु हुई है। आदरणीय मंत्री जी के उत्तर में और जो जानकारी आदरणीय सदस्य दे रहे हैं, विरोधाभाष है। मृत्यु कोई साधारण बात नहीं है, चाहे कैदी की मृत्यु हुई है पर मृत्यु तो हुई है। ये कह रहे हैं कि विचाराधीन अवधि में हुई है। एक बरेट की ओर एक तम्बोली की मृत्यु हुई है। नाम भी बता रहे हैं और माननीय मंत्री जी उससे सहमत नहीं हैं, उनकी जानकारी उसके विपरीत है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता लगाना ये हम सबकी अपेक्षा है और अनुरोध है कि आंसदी कोई ऐसा फैसला दे, कोई ऐसी जांच स्थापित करे कि सच्चाई तो पता चले। दो मरे हैं या एक मरे हैं, किसलिए मरे हैं और मरने के बाद क्या कार्यवाही हुई है, ये सब तो पता चलना चाहिए।

श्री तामध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षवार जो जानकारी पूछी गई थी, मैं पूरी जानकारी दे दिया हूं। माननीय सदस्य एक-एक व्यक्ति, तारीख के अनुसार जानकारी चाह रहे हैं, मैं उनका उपलब्ध करा दूंगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा एक लाईन का प्रश्न था, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एवं 2018-19 में जेल में कितने कैदियों की मृत्यु हुई ? वर्षवार, जेल के नाम सहित बतायें ? माननीय मंत्री जी का इसमें स्पष्ट उत्तर भी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जेलों में वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) में कुल 53 कैदी, वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक) में कुल 57 कैदी तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 28.01.2019 तक) में कुल 44 कैदियों की मृत्यु हुई हैं। और इसी डेट के अंतराल में दोनों कैदी की मृत्यु हुई है लेकिन जांजगीर-चांपा में केवल एक कैदी की मृत्यु बताई जा रही है। इसमें स्पष्ट है। माननीय मंत्री जी ने भी डेटवाईज उत्तर दिये हैं, इसमें कोई अठारह, उन्नीस का भी फेर नहीं हैं। वित्तीय वर्ष से आशय क्या है, मेरे से ज्यादा बेहतर इसको माननीय मंत्री जी समझते हैं।

श्री तामध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डेटवाईज पूछ रहे हैं, मैंने डेटवाईज उत्तर नहीं दिया है, वर्षवार उत्तर दिया है, तीसरा महीना फाईनेन्सियल ईयर होता है, वह मैं भी जानता हूं, वह भी लिखा हूं। पर एक साल की जानकारी दी गई है, माननीय सदस्य एक-एक डेटवाईज जो अभी उल्लेख कर रहे हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं एक-एक डेटवाईज, एक-एक व्यक्ति के नाम के अनुसार उपलब्ध करा दूंगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध कराने की बात नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका निर्णय आना चाहिए और प्रश्न संदर्भ समिति तो आपकी समिति है, आप अपनी समिति से जांच करवायें, हम कोई हमारी समिति नहीं बोल रहे हैं, हम कोई विधानसभा की विधायकों की समिति नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति जो विधानसभा की समिति है, अगर विधानसभा के सामने गलत जानकारी दी गयी है तो वह सामने आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य जी, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई विरोधाभाष है, उत्तर में कुछ गलत जानकारियां दी गयी हैं तो आपके द्वारा ही लिखित में सप्रमाण दिया जाना चाहिए, हम उसकी जरूरत समझेंगे तो प्रश्न एवं संदर्भ शाखा से जांच करवा लेंगे मगर यह आपको देना है, मुझे नहीं देना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन में मांग कर रहे हैं और जब सदन में मांग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप उसमें निर्णय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी अगर सहमत नहीं हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसमें जो तथ्यों की जरूरत होगी, माननीय सदस्य उपलब्ध करवा देंगे ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वही तो कह रहा हूं कि माननीय सदस्य सप्रमाण शिकायत करेंगे तो हम जांच की बात सोच सकते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरानी पम्परा इस सदन की रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय समितियों को सौंपते रहे हैं यह पुरानी परम्परा रही है और माननीय सदस्य उसके संदर्भ में जांच के समय में अपने तथ्य उपलब्ध करवाते रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पिछले 15 सालों में एक भी समिति को कोई मामला नहीं दिया, इन लोग जरा अपने समय की बात तो सोचें । (मेजों की थपथपाहट) क्या पिछले 15 सालों में आपने एक भी समिति को कोई मामला दिया है ? हम लोग मांग करते थे क्या आप कभी देते थे ? यहां बैठकर तरह-तरह की बात करते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय क्या हुआ वह अलग बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब मैंने निर्णय दे दिया । अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप लिखकर दे दीजिये । इसमें बहुत लंबा हो गया । श्री कुंवर सिंह निषाद ।

<u>गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति</u>

6. (*क्र. 420) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग में कितने कार्य स्वीकृत हैं जो प्रगति पर व अप्रारंभ हैं ? (ख) संचालित कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा व अप्रारंभ कार्यों को कब प्रारंभ किया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) 17 स्वीकृत, 07 प्रगति पर, 10 अप्रारंभ. (ख) निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं. अप्रारंभ कार्यों के प्रारंभ करने की तिथि बताया जाना संभव नहीं.

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी से मेरा सवाल है । कृपया माननीय गृहमंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभाग में कितने कार्य स्वीकृत हैं जो प्रगति पर हैं और अप्रारंभ हैं ? संचालित कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा व अप्रारंभ कार्यों को कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर लिखित में पटल पर मैंने दे दिया है । 17 स्वीकृत जिसमें 7 प्रगति पर, 10 अप्रारंभ है । कब तक प्रारंभ किया जायेगा इसकी निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है यह मैंने लिखित में उत्तर दे दिया है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न में नाम सहित पूछा था, कृपया कार्य का नाम बताने का कष्ट करें ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सड़क के कार्य 06 नग, बालौद देवगहन से रौना मार्ग, जिला बालौद वर्ष 2017-18 में जिला बालौद के बटरैल-कुथरैल भाठा गांव अवरी परसाही मार्ग, वर्ष 2016-17 में जिला बालौद के जुंगेरा से अर्जुंदा मार्ग, वर्ष 2015-16 में सिकोसादनिया मार्ग, वर्ष 2018-19 में अंडा-रनचिरई जामगांव मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निमाण कार्य, करहीभदर, निपानी, मोखा, बटरैल जामगांव मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निमाण कार्य, वर्ष 2017-18 में यह आपके 6 सड़कों का हो गया । वार्षिक मरम्मत के 08 कार्य हैं उसमें है टटेंगा, कसही, गंधरी मार्ग के किलोमीटर 1 से 6/6 में डामरीकरण का कार्य जिसकी वास्तविक लंबाई 5.60 किलोमीटर, वर्ष 2017-18 में राहुतकसौंदा मार्ग के किलोमीटर ½ से 4/6 में डामरीकण का कार्य, तीसरा है संजारी, अछोली, भीमकन्हार मुड़खुसरा मार्ग के किलोमीटर 11 से 15/4 में डामरीकरण का कार्य जिसकी लंबाई 4.40 किलोमीटर प्रशासकीय स्वीकृति का भी उल्लेख है राशि का अगर कहें तो बड़ा लंबा है वह भी बता दूंगा । फिर वार्षिक मरम्मत के कार्य हैं कचांदूर से भरदा मार्ग के किलोमीटर 1 से 3 में डामर नवीनीकरण का कार्य, लंबाई 3 किलोमीटर, संबलपुर, भीमकन्हार, मुड़िया मार्ग किलोमीटर 7 से 9 में डामर नवीनीकरण कार्य लंबाई 3 किलोमीटर, संबलपुर, भीमकन्हार, मुड़िया मार्ग किलोमीटर 10 से 11/8 में डामर नवीनीकरण कार्य लंबाई 1.80 किलोमीटर फिर वार्षिक मरम्मत के जो कार्य इसी में और दुर्ग, गुण्डरदेही बालौद मार्ग किलोमीटर 27, 28 एवं 29 में डामर नवीनीकरण कार्य, गुण्डरदेही-धमतरी मार्ग, किलोमीटर 1 में डामर नवीनीकरण कार्य इस तरह से यह कार्य हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :-10 कार्य जो अप्रारंभ हैं, उसका क्या कारण है ।
मैं अप्रारंभ कार्यों का कारण जानने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- वित्तीय स्वीकृति के कारण रूका हुआ है ।

<u>राजिम कुंभ को बंद करने का लिया गया निर्णय</u>

7. (*क्र. 462) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने राजिम कुंभ को बंद करने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो कब से ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जी नहीं. "राजिम कुंभ (कल्प) मेला" का नाम संशोधित कर "राजिम माघी पुन्नी मेला" किया गया है. अतः उक्त मेला बंद किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजिम कुंभ मेले को बंद करने का कारण क्या है ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजिम कुंभ कल्प मेले को बंद करने का कोई कारण नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ है । सिर्फ नाम परिवर्तन किया है । "राजिम कुंभ (कल्प) मेला" था, उसको "राजिम माघी पुन्नी मेला" किया गया है । शेष कार्यक्रम जैसा चलता था, उन्हीं तारीखों पर होते हैं । पुराणों को सामने रखकर उसे और ज्यादा क्या अच्छा किया जा सकता है, वह किया जा रहा है । राजिम के मेले को कहीं भी बंद नहीं किया गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, "राजिम कुंभ (कल्प) मेला" नाम था और यह विधान सभा के विधेयक पारित कराकर उसका नाम रखा गया था । अब उसको बंद कर दिया गया । उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया यानी कुंभ कल्प मेला तो बंद हो गया ना । हम यही जानना चाहते हैं कि कुंभ कल्प मेले को बंद क्यों किया गया है । आपने नाम तो बदल दिया यानी कुंभ कल्प मेला तो बंद हो गया, अब तो माघी पुन्नी मेला हो गया । ज़रा यह बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में माघी पुन्नी मेले कितने स्थानों पर होते हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं । मंत्री रहे हैं और उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया । उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला शब्द बदल देने से बंद हो गया । इसके पहले यहां विधेयक पेश हुआ था, उसके अनुसार शुरू हुआ था । यहां विधान सभा में विधेयक पेश करके ही नाम बदला गया है । दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने नाम बदला राजिम माघी पुन्नी मेला पुराना नाम जो सैकड़ों सालों से चल रहा था । जब यहां नाम परिवर्तन किया गया उस समय मैंने गैजेटियर का उल्लेख किया । इनकी भाषा के अनुसार तो राजिम माघी पुन्नी मेले को इन्होंने बंद किया और नया शुरू किया । राजिम माघी पुन्नी मेला पूर्ववत था, अपने कार्यकाल में उसका नाम इन्होंने परिवर्तन किया था । हमने उसको पुराने स्वरूप में जनभावनाओं के अनुसार, गैजेटियर के अनुसार, हमारी मान्यताओं के अनुसार, हमारी आस्थाओं के अनुसार, हमारी परम्पराओं के अनुसार नाम परितर्वन करके, पुराने स्वरूप में जो राजिम माघी पुन्नी मेला का जो मूल स्वरूप था, हमने उसमें शुरू किया था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों पर माघी पुन्नी मेला भरता है और राजिम के माघी पुन्नी मेला और बाकी स्थानों के माघी पुन्ने मेले में क्या अंतर है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न से उद्भुत नहीं होता और न ही यह पूछा गया है कि प्रदेश में और कहां कहां माघी पुन्नी मेला होता है । उसकी जानकारी मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने खुद कहा "राजिम माघी पुन्नी मेला" नाम रखा गया है तो माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों पर भरता है । यह उनको जवाब देना चाहिए । हम राजिम कुंभ से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने भाषण दे दिया । क्या राजिम माघी पुन्नी मेले का पहले कोई कानून था क्या ? पहले कोई कानून नहीं था । हमारी सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने के लिए नाम रखा था क्योंकि कुंभ का एक आकर्षण है। माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ मे 500 स्थानों पर भरता है । हर नदी के किनारे भरता है । राजिम के बारे में महाभारत, विष्णु पुराण, स्कंध पुराण, राजिम महामहात्य ग्रंथ में राजिम के बारे में कहा गया है कि इसका महत्व प्रयागराज के समान है । इसके महतव को प्रयागराज के समान बताने के लिए कुंभ नाम रखा गया। माघी पुन्नी मेला तो छत्तीसगढ़ में बहुत स्थानों पर भरता है । (श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य के खड़े होने पर) क्यों मंत्री जी इनके सहयोग की जरूरत है क्या ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कुंभ को, कुंभ कल्प क्यों किया । पहले कुंभ किया, सिर्फ कुंभ कल्प किया । शंकराचार्य जी आपके कुंभ को नहीं मान रहे, हम लोग क्या मानेंगे भाई ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अब आप तो महामण्डलेश्वर हैं नहीं। तो क्यों बात कर रहे हो?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब महामण्डलेश्वर की उपाधि आपको दे दी है आज से। ठीक है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपके द्वारा दी गई कोई भी उपाधि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस बार नागा बाबा लोगों के साथ आप कपड़े उतारकर नहाना।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला प्रयोग मैं आप ही पर करूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कुंभ शब्द से आपको इतनी आपत्ति क्यों है? और राजिम के महत्व के बारे में क्या-क्या महत्व के बारे में आपको जानकारी है कि महाभारत में, विष्णु पुराण में, स्कंध पुराण में, राजिम महामात्य ग्रंथ में राजिम के महत्व के बारे में क्या कहा गया है? आप यह बता दें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- यह एक धार्मिक डिबेट का प्रश्न होगा कि इस पुराण में क्या कहा गया है? रामायण में, गीता में, भागवत में।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जब संशोधन किया तो उसके उद्देश्यों के कथन में लिखा था कि शास्त्र उचित नहीं है। जब आपने रिकार्ड में लिखा शास्त्र उचित नहीं है तो आप शास्त्र पढ़े हैं और जब शास्त्र का उल्लेख किया, शास्त्र पढ़े हैं तो बताना चाहिए। अभी नहीं बताने से काम नहीं चलेगा। आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उद्देश्यों के कथन में कहा है कि यह शास्त्र अनुकूल नहीं है । चूंकि आप उद्देश्य में लिखे हैं, इसका मतलब है कि आप शास्त्र पढ़े हैं या आपके अधिकारी शास्त्र पढ़े हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बात तो पूरा होने दें।

श्री अमितेश शुक्ल :- किसी पुराण या किसी ग्रंथ में राजिम को कुंभ नहीं कहा गया है। कहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। एक भी प्रमाण बता दीजिए कि यदि किसी भी शास्त्र में कुंभ कहा गया हो तो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने उद्देश्यों में शास्त्र लिखा था। आप विधेयक को ही निकाल कर देख लीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, बात तो पूरी होने दें। चन्द्राकर जी इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? सीधा-सीधा प्रश्न है कि राजिम कुंभ मेला बंद हुआ क्या? हमने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला हमने बंद नहीं किया। नाम परिवर्तन किया। सीधा-सीधा प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर। उसके बाद अब कितनी जगह मेला होता है तो उसका अगर प्रश्न होता तो उसका भी बता देते। जहां-जहां हमारे छत्तीसगढ़ में नदी है, जहां शिव जी का मंदिर है, अधिकांश जगहों में सैकड़ों कई जगहों में मेला लगता है। पर वह प्रश्न नहीं था इसलिए उसका उत्तर हमने नहीं दिया। रही सवाल विधेयक की बात। पहले विधेयक के अनुसार हुआ था क्या? तो उस समय विधान सभा और लोक सभा होता था कि नहीं होता था जब यह मंदिर और मेला शुरू हुआ। उस समय चुनाव होता था कि नहीं होता था जिस समय मंदिर मेला शुरू हुआ। तो यह प्रश्न इसका नहीं है। सीधा प्रश्न है और उसका सीधा उत्तर दिया गया है। शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथों की बात जो चन्द्राकर जी कह रहे हैं, उल्लेख उसमें हुआ है तो जानकारी होनी चाहिए। जानकारी की बात अलग है ठीक है चन्द्राकर जी ज्यादा पढ़ते होंगे, ज्यादा जानकारी होगी। थोड़ी बहुत हम लोगों को होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- विषय यह नहीं है। विषय यह है कि आपने विधेयक में उल्लेख किया न।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अब सुनना भी तो सीखें। हां, मैं तो बोल तो रहा हूं न। आप किये उसकी बात कर रहा हूं न। आपने कहा इसलिए आपका नाम ले रहा हूं। आप शास्त्र की बात कर रहे हैं तो क्या धर्मजीत भाई का नाम लूं। आपने कहा तो आपका नाम ले रहा हूं और जब आप कोई बात करते हैं तो सुनना भी तो सीखें। जब मैं कह रहा हूं तो सुन लें फिर आप कहते रहेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वे सुनते नहीं हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सीधा-सीधा सा उत्तर है। न हम लोगों ने कहीं पर कुछ किया है। सीधा-सीधा नाम परिवर्तन किया है। रायपुर जिला गजट में 1909 में इसका जिक्र है, उसका उल्लेख पिछली

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बार हम लोगों ने किया। माघी पून्नी मेला का आयोजन होता है, उसके कारण हमने परिवर्तन किया। इसके बाद इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो स्कंध पुराण है राजिम महामत्य ग्रंथ है इसके धार्मिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व के बारे में राजिम को प्रयागराज कहा गया है कि नहीं कहा गया है। बाकी स्थानों पर भरने वाले पून्नी मेले से यह अलग है कि नहीं है और इस बार आपने माघी पून्नी मेले में कितने साधु संतों को आमंत्रित किया है। जरा मेरे इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दे दें कि राजिम का अलग महत्व बाकी पुन्नी मेलों से क्या है?

श्री अमितेश शुक्ल :- साधु संत से मतलब आपका महामण्डलेश्वर से या उनसे तो नहीं है जो आयातित टाइप के, जैसे उस तरह के कौन से.....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-यह साधु संतों का अपमान है आयातित बोलकर और पूरे देश के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं आयातित बोलकर। कोई साधु संत आयातित नहीं होते।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं ढोंगी साधु-संतों की बात कर रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- साधु-संत शंकराचार्य पूरे देश के....(व्यवधान) आप साधु-संतों को अपमानित कर रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं ढोंगी साधु-संतों की बात कर रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप साधु-संतों को अपमानित कर रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं ढोंगी साधु-संतों की बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जारी रखो।

श्री कवासी लखमा :- हम लोग ढोंगी साधु-संतों की बात कर रहे हैं। नागा लोगों का ला रहे थे न, उसकी बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक-22 सन् 1973) के निम्नलिखित प्रतिवेदन**

(i) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का चौवनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक-22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का चौवनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018) पटल पर रखता हूँ।

2. **पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 - 2018 (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018)**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम 2004 (क्रमांक-26 सन् 2004) की धारा 29 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018) पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना। श्री धनेन्द्र साहू।

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन की अवमानना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार भंग की सूचना आपके यहां दी है। छत्तीसगढ़ की विधान सभा का सत्र प्रारंभ हो गया और सत्र प्रारंभ होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन के बाहर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

घोषणा की गई है। हमने उस सन्दर्भ में विशेषधिकार भंग की सूचना दी है। हम चाहेंगे कि आप उस पर चर्चा करवायें, उसको स्वीकार करें और उसको विशेषाधिकार समिति को को सौंपे। आपसे इस बात का आग्रह है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय बृजमोहन जी ने कही, आखिरी दिन विधान सभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। कैग की रिपोर्ट में ई-टेण्डरिंग के बारे में आपत्ति की गई। चूंकि विधान सभा अधिसूचित थी, हमने उसको स्थगित किया था, आपने स्थगित किया था। यानि यह माना जायेगा कि विधान सभा चल रही है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। कैग की रिपोर्ट के बारे में यह नियम परम्परा रही है कि लोक लेखा समिति उसका परीक्षण करती है और लोक लेखा समिति उसको सरकार को सौंपती है। सरकार कार्रवाई करती है। अब विधान सभा चल रही है, उसके बाद बिना लोक लेखा समिति के परीक्षण के बगैर विधान सभा की अवमानना करके, विधान सभा चल रही है तो भी और प्रक्रिया की भी अवहेलना करके सीधे किसी एजेंसी को जांच के लिए दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी भी जांच में सरकारी एजेंसी में किसी भी जांच में नियम प्रक्रियाओं में सबसे बड़ी जांच मानी जाती है, जो विश्वास में है, वह है पब्लिक एकाउन्ट कमेटी या जे0पी0सी0 या किसी को भी। लोक लेखा समिति से बड़ी जांच इस प्रदेश में किसी और संस्था से नहीं हो सकती है। यदि किसी एजेंसी को जांच करने की भी बात कही गई है।

अध्यक्ष महोदय :- वह मेरे पास विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए हमने जो विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- विचाराधीन है, मैंने कह दिया। विचाराधीन है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- तो विचार नहीं करे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लोक लेखा समिति विधान सभा की समिति है। विधान सभा की समितियां यानि यह विधान सभा है। विधान सभा के समिति को कोई विषय में जाना है, उस विषय को कोई एस0आई0टी0 बनाकर उसको सौंप देना, यह पूरे सदन का अपमान है। आपका भी अपमान है, हमारा भी अपमान है। एस0आई0टी0 बनाना, एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी समस्या गंभीर है, इसीलिए विचार कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की शुरूआत है। अगर शुरूआत में ही इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं रोकेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार इस प्रकार की गतिविधियां लगातार करती रहेगी। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप ऐसे विषयों को गंभीरता से लेंगे और ऐसे

विषयों पर चर्चा करवायेंगे तो सरकार भविष्य में इस विधान सभा का अपमान करने की, अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पायेगी। यह आपका, हमारा, हम सबसे मिलकर यह विधान सभा बनी है। यह सबका अपमान है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस विशेषाधिकार के ऊपर में चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- विचाराधीन है, मैंने कहा कि विचाराधीन है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए विचाराधीन है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह पूरे सदन की अवमानना है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए विचाराधीन है। गंभीर नहीं होता तो अग्राह्य कर दिया होता।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जिस दिन पहला उद्बोधन हुआ था, मेरे ख्याल से किसी भी अध्यक्ष का विधान सभा के बारे में सबसे अच्छा उद्बोधन था। आपने हमको यह आश्वस्त किया था कि मेरे लिए यह सदन की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। ये निरंतर घटनाएं घट रहीं हैं। अभी माननीय ताम्रध्वज साहू जी राजिम पुन्नी मेला का उल्लेख कर रहे थे । आपकी सहृदयता थी, ऐसा कोई लोक महत्व का विषय नहीं था कि उसी दिन उसको पुर:स्थापित किया जाता, प्रकाशन की अनुमति मिल जाती, उसी दिन पारण होता, ऐसा कोई विषय नहीं होता, ये सीधे-सीधे सदन की अवमानना थी । ये दूसरी घटना पहले सत्र में ही घट रही हैं और यदि परम्पराएं ध्वस्त हो जाएंगी तो हम सिर्फ वाद-विलास यहां करेंगे, सिर्फ वाणी विलास का ये माध्यम बन जायेगा । अध्यक्ष महोदय, आपसे विशेष तौर पर आग्रह है कि इसमें चर्चा कराईए, सदन की विश्वसनीयता, अस्मिता, गरिमा और आपकी जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनके अनुरूप है ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल पहली बार सदन में आसंदी के विरूद्ध बहिर्गमन किया गया है, ये घोर आपत्ति है । माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करिए, बहिर्गमन कीजिए, मंत्रियों का विरोध कीजिए, मगर कल पहली बार देखने को मिला कि विपक्ष के साथियों ने आसंदी के विरूद्ध बहिर्गमन किया इसलिए इनके ऊपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है । श्री धनेन्द्र साहू जी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:06 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>1. नया रायपुर (अटल नगर) विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम चेरीया एवं पौता की आवागमन सड़क को बंद कर दिया जाना.</u>

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

नया रायपुर (अटल नगर) विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम चेरिया एवं ग्राम पौता हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़क जो कि लोगों के आवागमन का एक मात्र साधन था, जिसे आई.आई.एम. संस्थान को आवंटित कर दिया है । आई.आई.एम. संस्थान के अधिकारियों के द्वारा इस माह पक्कत बाउंड्री वाल का निर्माण करके उक्त दोनों ग्राम की सड़क को अपनी सीमा के अंदर लेकर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है । दोनों ग्रामों के लोगों को अन्य दूरस्थ ग्रामों से तथा खेत, खार एवं पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ रहा है । अभी तक नया रायपुर (अटल नगर) विकास प्राधिकरण द्वारा इन ग्रामों के लोगों के आवागमन हेतु बाउंड्री के बाहर से भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे पौता एवं चेरिया दोनों ग्रामों के हजारों लोगों को काफी अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है । जनता में शासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

समय :

12:08 बजे

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आई.आई.एम. संस्थान को संस्थान स्थापना हेतु कुल 81.56 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है । आवंटित भूमि में से संस्थान को कुल 80.92 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य दिया गया । उक्त भूमि में से खसरा क्रमांक 671 रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि, जो ग्राम पौंता की आबादी से बंजारी की ओर जाने वाले रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, भी सम्मिलित है । इस मार्ग से पौंता और चेरिया के लोगों को आवागमन होता रहा है । संस्थान द्वारा आधिपत्य में दी गई भूमि की सीमा के चारों तरफ बाउण्ड्री बाल का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में किया है । वर्ष 2018 में संस्थान द्वारा शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् निर्मित बाउण्ड्री वाल के चार हिस्सों में गेट का निर्माण किया गया । उक्त निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप दोनों ग्रामों के लोगों का संस्थान के भीतर बने वैकल्पिक मार्ग से आवागमन हो रहा है । आई.आई.एम. को भूमि आवंटन की शर्त

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में यह उल्लेखित है कि विकास योजना अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण तक पुराने प्रचलित मार्गों पर सार्वजनिक आवागमन का अधिकार यथावत रहेगा । इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है तथा लोगों को अन्य दूरस्थ ग्रामों से तथा खेत, खार एवं पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ रहा है ।

अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा चेरिया एवं पौंता के ग्रामीणों के सुगम आवागमन हेतु निर्मित बाउण्ड्री वाल के बाहर सड़क निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इस प्रकार पौंता एवं चेरिया दोनों ग्रामों के हजारों लोगों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है तथा जनता में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश की स्थिति नहीं है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या एनआरडीए ने आई.आई.एम. को जो भूमि आवंटित की है तो क्या ये एन.आर.डी.ए. को संवैधानिक अधिकार है कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं और इन दोनों गांवों के आवागमन का जो रास्ता है, क्या उसको भी आवंटन किया जा सकता है, क्या आवंटन वैधानिक है या अवैधानिक है ? और चुनाव के समय से ही सड़क को बंद कर दिया गया है तो कब से सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सड़क में निर्माण कार्य कर दिया गया है तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सड़क को कब से बंद किया गया है और इसका आवंटन क्या वैधानिक है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आबंटन पूरी तरह वैधानिक है । कुछ शासकीय भूमि और कुछ अर्जित की गई भूमि आपसी सहमति से क्रय की गई भूमि के हिस्से में आती है । जहां तक सड़क का सवाल है तो आबंटन के शर्त में लिखा हुआ है कि आवागमन बंद नहीं किया जायेगा । यदि माननीय सदस्य की कोई चिन्ता है कि आवागमन के संबंध में अवरोध की स्थिति है तो मैं उसको दिखवा लूंगा । जैसा आप कहेंगे, आपके साथ चलकर देख लेंगे ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, सड़क को पूरी तरह से उखाड़कर वहां निर्माण कार्य कर दिया गया है । जहां पर सड़क गुजरती थी, वहां पर बाऊंड्रीवाल खड़ा कर दिया गया है । लोगों का आना-जाना पगडंडी से और पूरा बाहर से हो रहा है। किसी को भी आई.आई.एम. घुसने नहीं दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि तत्कालीन हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा नई राजधानी का जो शिलान्यास स्थान था, जिस पर शिलान्यास किया गया था, उसको भी उस आई.आई.एम. के घेरे में ले लिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि जबतक वैकल्पिक सड़क न बना दिया जाये, तब तक एन.आर.डी.ए. ने कैसे उस सड़क को आई.आई.एम. को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आबंटन कर दिया ? क्या शिलान्यास स्थल को आबंटन किया जा सकता है ? क्या उसमें भी आवागमन के रास्ता को बंद किया जा सकता है ? माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि शिलान्यास स्थान हमारा एक गर्व का विषय है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया है, वह स्थान वहां पर सुरक्षित है । आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जोगी जी यहां पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा शिलान्यास कराया गया था...।

श्री अजय चन्द्राकर :- भांटो मैं तो समझ रहा था कि आपका नंबर घटने वाला होगा, आपका नंबर तो बढ़ेगा ।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप मेरी नंबर की चिन्ता न करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो शिलान्यास स्थान आम जनता के लिए पूरी तरह से खुली रखें । उसको बाउंण्ड्री के अंदर ले लें । आई.आई.एम. का उसमें अलग बाउण्ड्री बना दें।

समय :

12:11 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

अध्यक्ष महोदय, यह आबंटन ही पूरी तरह से अनुचित है । जब तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण न कर दिया जाये, जब तक शिलान्यास का अलग बाऊंड्री न बना दिया जाये, ताकि आम जनता वहां पर चौबीसों घण्टे वहां आ जा सके । क्या यह सुनिश्चित करेंगे ? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरा रास्ता बंद है । अधिकारियों के द्वारा गलत जवाब दिया जा रहा है कि अभी लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है । लोग बाहर से घूम-घूम कर जा रहे हैं । शिलान्यास स्थल में तो कोई जा ही नहीं रहा है । दोनों को, एक तो वैकल्पिक सड़क का निर्माण जब तक नहीं होता, तब तक आवागमन को पूरी तरह से बाउंण्ड्री वाल को तोड़कर लोग सुगमता से आना-जाना कर सके । शिलान्यास स्थल को अलग से बाउंण्ड्रीवाल बनाकर आई.आई.एम. के घेरे से उसको बाहर कर दे, ताकि आम जनता उस स्थान पर सुगमतापूर्वक आ-जा सके । कृपया सुनिश्चित करेंगे क्या ?

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- जी मैं सुनूंगा आपको ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अहम और महत्वपूर्ण बात आदरणीय सदस्य ने उठाई है । इस प्रदेश के इतिहास में वह दिन अविस्मरणीय है, जिस दिन आदरणीय सोनिया गांधी जी ने नई राजधानी का शिलान्यास किया था । एक बहुत ही सुन्दर पत्थर और सजावट करके उनके द्वारा शिलान्यास किया गया था । जब आई.आई.एम. की बिल्डिंग बन गई है, यह बड़ी दु:ख की बात है,

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने जो शिलान्यास किया था, वह आई.आई.एम. के परिसर में आ गया और अगर कोई देखना भी चाहे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो शिलान्यास किया था, वह कहां पर है, कैसा है तो सच में बहुत सुन्दर है । मैं माननीय सदस्य से सहमत होते हुये आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि यह एक ऐतिहासिक चिन्ह है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया । आई.आई.एम. के अंदर वह रहेगा तो उसका कोई महत्व नहीं है । लोग देखने आते हैं कि वह कौन सा स्थल है, जहां श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास किया था । और कुछ करें या न करें, इतना अवश्य कर दीजिए, जो शिलान्यास वाला स्थान है, जैसा सुझाव आदरणीय सदस्य दे रहे हैं, वह अलग से घेर दिया जाये । और उसके आसपास अलग से सजावट कर दी जाये, बाग-बगीचा लगा दिया जाये, लोगों को उसको देखने का अवसर मिले

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी वह निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। जब पहले से वहां पर मार्ग स्थापित था, पौता-चेरिया के लोग आना-जाना करते थे तो आवंटन के पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन आवंटन करने वालों ने इस बात का ध्यान रखा नहीं। जहां तक माननीय अजीत जोगी जी ने अपनी बात रखी, जो शिलान्यास स्थल है वह आई.आई.एम. संस्थान के भीतर है तो ये भी बहुत चिन्ता का विषय है। इस प्रकार का भी नहीं होना था। आवंटन के पहले ये भी देखना था। एक वैकल्पिक सड़क बनाने का निर्णय लिया जा चुका है और वह वैकल्पिक सड़क हम जल्दी बनायेंगे। जहां तक जो शिलान्यास स्थल है मैं खुद आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ चलें और जो बेहतर से बेहतर होगा वह उसमें करेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि रास्ता अभी वर्तमान में पूरी तरह से बंद है, वर्तमान में अधिकारियों को निर्देश दे दें कि उसको आम जनता के लिए पूरी तरह से खुला रखें। कभी रात में कोई पेशेंट है उसे किसी डॉक्टर के पास जाना है तो उस गांव से निकल नहीं सकते। अभी भी लोग पगडंडी से होकर गुजर रहे हैं या फिर बहुत दूर 20–25 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। जब तक सड़क का निर्माण नहीं होता तब तक के लिए एक तो तत्काल लोगों का आवागमन शुरू करवायें और जैसा कि आपका सुझाव है आप जब भी तारीख निर्धारित कर दें आपके साथ मौके पर स्वयं हम लोग चलकर देख लेते हैं और शिलान्यास स्थान को भी पूरी तरह से बाहर किया जा सकता है, बहुत नजदीक में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो वह भी मौके का निरीक्षण करके निर्णय ले लें और माननीय मंत्री जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, जितना शीघ्र हो इसका निराकरण कर दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) जांजगीर-चांपा जिले में सोथी एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव नदी पर वर्ष 2006 से प्रारंभ होकर 2012 में एनीकट का निर्माण 1775 लाख की लागत से बनाया गया है एवं प्रशासनिक स्वीकृति 1853.75 लाख की दी गई। इसे प्रचलित शब्दों में सोथी एनीकट बोला जाता है। उपरोक्त एनीकट गलत डिजाईनिंग और निम्न गुणवत्ता के निर्माण के कारण दिनांक 15-11-2018 को बह कर टूट गया है। ठेकेदार और संबंधित कर्मचारी और अधिकारीगण जिन्होंने इसका निर्माण कराया उन पर कोई नोटिस और जांच आदेश नहीं दिया गया है। विभाग द्वारा इस एनीकट से प्रकाश इण्डस्ट्रीज एवं मध्य भारत पेपर मिल और नदी किनारे किसानों को सब्जी लगाने के लिए जल आपूर्ति की जाती थी। आपूर्ति न होने से विभाग को 30 लाख रूपये प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है। एनीकट फ्लोटिंग वाय पद्धति से बना है जिसमें बाड़ी वियर आरडी 110 से आरडी 146 के मध्य का भाग बह गया है। इस पद्धति से बने एनीकट का पुन: निर्माण और मरम्मत यदि वर्षाऋतु तक नहीं हुआ तो संपूर्ण स्ट्रक्चर बह सकता है। आज की स्थिति में मिट्टी का अस्थाई स्ट्रक्चर बनाकर काम किया जा रहा है। उपरोक्त स्ट्रक्चर के निर्माण पर 3.65 करोड़ की अनुमानित लागत है। एनीकट ना बनने से गर्मी में उद्योग बंद हो जायेंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और नदी किनारे सब्जी उगा रहे किसानों की पूरे साल की फसल का नुकसान होगा। इसकी वसूली किस अधिकारी से की जायेगी इस पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार हसदेव नदी पर सतीगुड़ी, चांपा नगर और कुदरी में भी इसी दौरान एनीकट बनाए गए थे। इनमें से भी पानी का रिसाव हो रहा है और कभी भी तेज प्रवाह और बाढ़ की स्थिति में ढह सकता है। यह स्थिति तब है जबकि पिछले तीन मानसून में कम वर्षा के कारण बांगो बांध से नदी में पानी नहीं छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग की उदासीनता से जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

जल संसाधन मंत्री (श्री रवीन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिलें में हसदेव नदी पर ग्राम पीथमपुर व हथनेवरा के मध्य सोंठी एनीकट की निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति छ.ग. शासन के पत्र क्र. 4087/डी-9/647/जसं रायपुर दिनांक 17.07.2006 द्वारा रूपये 694.64 लाख की प्रदाय की गई थी। रू. 659.77 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर अनुबंध क्र.01//डी.एल./2007-08 के द्वारा श्री अशोक कुमार मित्तल अ-5 श्रेणी ठेकेदार से कार्य प्रारंभ करवाया गया। निर्माण के दौरान हसदेव नदी में फाउण्डेशन में रेत अधिक गहराई तक रेत/बालू कोने के कारण योजना में डायफ्रामवाल जोड़कर योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति छ.ग. शासन के पत्र क्र. 7180/डी-9/647 रायपुर दिनांक 02.12.2009

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

द्वारा रू. 1853.75 लाख की प्राप्त हुई थी। योजना पर सिविल कार्य हेतु रू. 1775.90 लाख व्यय हुआ है।

विभाग द्वारा सोंठी एनीकट से प्रकाश इण्डस्ट्रीज को 8.40 मि.घ.मी. वार्षिक नैसर्गिक स्त्रोत व 1.825 मि.घ.मी. वार्षिक शासकीय स्त्रोत से तथा मध्य भारत पेपर मील को 2.16 मि.घ.मी. वार्षिक नैसर्गिक स्त्रोत से आबंटित है। एनीकट के अपस्ट्रींग में कुदरी बैराज निर्मित है।

मैदानी अमले द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा एवं प्रस्तुतीकरण के अनुसार डिजाईन का परीक्षण कर निर्माण किया गया है। एनीकट की टूटने की सूचना दिनांक 14.11.2018 को रात्रि के समय प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 24.11.2018 को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा निरीक्षण कर जांच की गई। पुन: वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित कर दिनांक 07.02.2019 को क्षतिग्रस्त कार्य की जांच की गई। जिसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसके आधार पर विभागीय नियमों के तहत दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। क्षतिग्रस्त एनीकट के सुधार होने तक संबंधित उद्योगों को विभाग द्वारा इस स्थल के ऊपर निर्मित संरचनाओं से जल इण्डस्ट्रीज को आबंटित 8.40 मि.घ.मी. वार्षिक तथा मध्य भारत पेपर इण्डस्ट्रीज को आबंटित 2.16 मि.घ.मी. वार्षिक नैसर्गिक स्त्रोत से है, इन्हें नदी के जल बहाव से जल आहरण करना है। नहीं में बहाव उपलब्धता के अनुसार संस्थान द्वारा जल आहरण किया जावेगा, जिससे प्रकाश इण्डस्ट्रीज को 1.825 मि.घ.मी. आबंटित जल के विरूद्ध ग्रीष्मकाल हेतु जल उपलब्ध कराया जा सकता है। अत: क्षतिग्रस्त एनीकट से अनुबंध के अनुसार शासन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

हसदेव नदीं पर निर्मित सत्तीगुढ़ी, चांपा एवं कुदरी एनीकट में क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग जांजगीर-चांपा द्वारा एनीकट के क्षतिग्रस्त भाग का विशेष मरम्मत प्रस्ताव रू. 367.50 लाख प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में तकनीकी टीप का निराकरण हेतु कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग जांजगीर-चांपा को निर्देशित किया गया है। स्वीकृति पश्चात क्षतिग्रस्त भाग को निर्माण करने की कार्यवाही की जावेगी।

जिन संस्थानों को शासकीय स्त्रोत से जल आबंटन की गई, उनकी जल आपूर्ति बंद नहीं होगी। अत: उद्योग बंद नहीं होंगे तथा बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, नदी में पानी का बहाव रहने से किसानों को सब्जी भाजी उगाने हेतु नुकसान नहीं होगा। हसदेव नदी पर सत्तीगुढ़ी, चांपा एनीकट एवं कुदरी बैराज निर्मित है, जिनमें कोई रिसाव नहीं है। क्षतिग्रस्त एनीकट के मरम्मत का प्रस्ताव की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अत: उदासीनता नहीं है एवं जनता में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं 2012 में एनीकट बना, 2018 में एनीकट बह गया। 6 साल में एनीकट बह गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एनीकट कितने साल के लिए डिजाईन किया गया.....।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, उधर के लोग ही बना रहा थे, उधर के लोग ही बहा रहे थे।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप बैठिये आप उसमें क्यों चिंता कर रहे हो, कौन बना रहा था, क्या नहीं बना रहा था। मंत्री और अधिकारी बनाते हैं, इस चीज को समझिए मैं आगे बोल रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आगे वाले सीट से पूछ लो न, उन्हीं के समय का है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जब एनीकट का डिजाईन हुआ जिन अधिकारियों ने डिजाईन किया तो डिजाईन करते वक्त नदी का मिन फ्लो लेवल क्या है, नदी में पानी का वाल्यूम कितना है उसका मंथवार और पानी की फ्लो की वेलासिटी कितनी होती है तो एनीकट के बहाव को रोका जायेगा और उस हिसाब से डिजाईन किया जायेगा। उसमें क्या किया गया था, उसमें इस तरह की क्या व्यवस्था की गई थी और पानी का डेवियेशन कितना है, महीनों में कितना डेवियेशन है, मई के महीने में कितना पानी है, जून के महीने में कितना पानी है, जुलाई के महीने में कितना पानी है और दिसंबर के महीने में कितना पानी है। इन सारी चीजों को देखकर, क्या ये एनीकट का निर्माण हुआ था? नंबर (1) अगर निर्माण हुआ था तो कितने सालों के लिए निर्माण हुआ था।

श्री रवीन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, किसी भी डिजाईन में सुनिश्चित साल ये 100 साल चलेगा या 200 साल चलेगा, इस तरह के इस्टीमेट में जोड़ा नहीं जाता लेकिन सामान्यत:: सीमेंट कांक्रीट से बने एनीकट की जो उम्र है विभाग ये अंदाज लगा लेता है कि लगभग उसकी अवधि 75 साल के आसपास होनी चाहिए। लेकिन केवल 6 सालों में ये ब्रेक हुआ, टूटा। ये आपका मूल रूप से ये प्रश्न है तो निश्चित रूप से मैंने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वह जांच का विषय है, वह कार्यवाही का विषय है। इसलिए एनीकट टूटा है, उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस नदी पर जो अन्य एनीकट बने हैं उस हंसदेव नदी पर बहुत सारे एनीकट अपस्ट्रीम में और बने हैं। कुरदी, सक्तीगुड़ी और सारे एनीकट बने हैं और हंसदेव नदी का फ्लो होता है जब बांध का पानी छूटता है तो हंसदेव नदी का फ्लो बहुत जबरदस्त होता है और हंसदेव नदी में gredient इतना जबरदस्त है कि पानी की velocity बहुत तेज जाती है और velocity के कारण एनीकट उड़ेगा। gredient नदी में इतना तेज है, smooth gredient की नदी नहीं है, deep gredient की नदी है तो पानी के velocity तेज हो जाती है और जब velocity तेज हो जाएगी तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अन्य जो एनीकट बने हैं। इसी समय पर जो अन्य एनीकट बने हैं, उसमें अगर डिजाईनिंग का प्रावधान सही नहीं है तो क्या जांच करायेंगे कि अन्य एनीकट भी न उड़ जायें ?

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि केवल एक एनीकट के टूटने का प्रकरण है और अन्य तीन एनीकट, जिसका आपने जिक्र किया है, अभी उस परिस्थिति का निर्माण ही नहीं हुआ है तो बाकी एनीकट के निर्माण में जांच का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जांच की मांग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूर्व प्रश्न में किया कि अगर इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया है कि मीन volume क्या है ? नदी में कितना volume है ? कितना फ्लो है ? कितना क्यूसेक पानी का फ्लो है ? किस महीने में कितना क्यूसेक का फ्लो है ? और मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि हंसदेव नदी का gredient बहुत तेज है, पानी की velocity तेज हो जाती है और velocity मल्टीप्लाई होती जाती है जब नीचे अप स्ट्रीम, डाऊन स्ट्रीम जाते-जाते हैं तो अगर अपस्ट्रीम के एनीकट टूटेंगे और तीन सालों से हंसदेव नदी का पानी बांगो बांध से नहीं छोड़ा गया है और जब बांगो बांध से पानी छोड़ा जाता है तो पानी की volume और velocity होती है वह अकल्पनीय है। ये सारे बांध डूब जाते हैं सारे एनीकट डूब जाते हैं और इनके ऊपर से पानी चलता है तो उस समय पर क्या परिस्थिति होगी इसलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूँ कि अगर एक एनीकट टूटा है तो बाकी तीन एनीकट भी टूट सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ भयावह चीज बोल रहे हैं कि माने बहुत बाढ़ आएगा, बहुत पानी छोड़ा जाएगा। अरे भई, जो वर्तमान परिस्थिति है तीन एनीकट अपस्ट्रीम में जो बताया गया, वह विद्यमान है, उसमें कहीं कोई ऐसी समस्या आई नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति आएगी तो ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एनीकट टूट गया है।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार ऐसी स्थिति क्यों आएगी ? आप उसका प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी जिस एनीकट में आप जो कह रहे हैं उसका टूटा हुआ है उसमें किस प्रकार कार्यवाही होगी, कैसी जांच होगी ? इस प्रकार से कोई बात हो सकती है बाकी अपस्ट्रीम में जो एनीकट है, उसकी जांच किस तरीके से कराने की, उसकी जांच की जरूरत ही महसूस नहीं होती।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि 367.50 लाख की लागत से एनीकट की मरम्मत की जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि एनीकट की मरम्मत कब से की जाएगी ? क्योंकि अगर अभी एनीकट की मरम्मत नहीं की गई तो फिर उसको 18 करोड़ लगेगा क्योंकि पूरे बरसात में स्ट्रक्चर उड़ जायेगा तो मैं जानना चाहता हूँ कि एनीकट की मरम्मत कब से चालू होगी ?

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैंने अपने उत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग 367.50 लाख का estimate आया हुआ है। अभी एनीकट टूटा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है, अभी estimate आया है, स्वीकृति की, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि फिर से 18 करोड़ का एनीकट बह जायेगा, उसके पहले हम मरम्मत करा लेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस चीज को मान रहे हैं कि 367.50 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय आएगा और राज्य शासन पर अतिरिक्त व्यय आयेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने इसकी डिजाईनिंग की, जिन अधिकारियों ने इसका ले आऊट दिया, जिन अधिकारियों ने इसका पेमेण्ट किया, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वीकार किया कि कार्य बिलो क्वालिटी का हुआ। मैंने स्वीकार किया कि मरम्मत आवश्यक है, मैंने स्वीकार किया कि उसमें जो राशि लगेगी, उसको शासन, हम लोग मरम्मत कराने के लिए स्वीकृत करेंगे और आपने जो प्रश्न किया कि जिस समय ये काम प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक इसमें अधिकांश अधिकारी लगभग सेवानिवृत्त हो गये हैं। वसूली की जो कार्यवाही होगी, उनसे नियमानुसार की जायेगी। वर्तमान में 4 अधिकारी एस.एल. यादव जो उस समय अनुभागीय अधिकारी थे, वी.एस. कश्यप, वर्तमान में अनुभागीय अधिकारी हैं, जी.पी. तिवारी और एस.एन. अग्रवाल जो इस एनीकट के निर्माण में उस अवधि में वहां पदस्थ थे, नेग्लिजेंसी पाई गई, इसलिए इन चारों को निलंबित करने की घोषणा करता हूं और शेष अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनके खिलाफ भी किस तरीके से आवश्यक कार्यवाही हो सकती है, वह किया जायेगा और ठेकेदारों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

समय :
12:31 बजे

नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

01. जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा तहसील के ग्राम पंचायत सोनसरी के हाईस्कूल का नामकरण शहीद के नाम से किया जाना।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल का सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा तहसील के ग्राम पंचायत सोनसरी निवासी रूद्र प्रताप सिंह पिता जवाहर सिंह दिनांक 30/10/2018 को दंतेवाड़ा में पत्रकारों को बचाते हुए नक्सलियों के हाथों शहीद हो गए थे। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव किया है कि स्थानीय हाई स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से किया जाए। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पुलिस विभाग का कोई भी उच्च अधिकारी आज दिनांक तक उनके घर नहीं गया है। ग्राम तरौद में स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नवीन राष्ट्रीय राज्य मार्ग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चौक का निर्माण शहीद के नाम से किया जाए। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव देने से इनकार कर दिया गया है। शहीद के परिवार में उनकी पत्नी और 6 साल की एक लड़की है। सेवानिवृत्त शिक्षक माता-पिता ये लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ शहीद का सम्मान मांग रहे हैं। परन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

02. दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में अनियमितता।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवासों के निर्माण में व्यापक स्तर पर लापरवाही देखी जा रही है। हितग्राहियों को बोरसी क्षेत्र में जो आवासों का प्रमाण पत्र दिया गया है वहां अब तक ना ही पाने का पानी और ना ही बिजली की व्यवस्था की गई है। यही स्थिति पुलगांव एवं बांधा तालाब सरस्वती नगर में भी है। जहां ड्राईंग डिजाइन तैयार करने से लेकर जमीन की उपलब्धता का ही आकलन सही तरीके से नहीं किया गया। जिसकी वजह से लगातार काम प्रभावित हो रहा है और दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में हितग्राहियों को जो लाभ मिलना था, वह नहीं मिल पाया है।

03. विकासखंड मरवाही के विभिन्न ग्रामों में पेयजल की समस्या होना।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

मरवाही विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मरवाही के उत्तरी भाग जिसमें कटरा, बेलझरिया, उषाढ़ जैसे अन्य ग्राम स्थित हैं, जिसमें पूरे वर्ष भर पेयजल की समस्या बनी रहती है। यहां का वाटर लेवल भी बहुत नीचे है, जिसके कारण नलकूप खनन के पश्चात भी पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोरिया जिले के हसदेव नदी से पानी लाकर इस क्षेत्र के जनमानस को पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, किन्तु कार्यवाही नहीं होने से पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है।

04. बलरामपुर जिले के विभिन्न ग्रामों पर शौचालय निर्माण कार्य में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी भुगतान ना किया जाना।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बलरामपुर जिले के ग्राम सनावल, महराजगंज, विजयनगर, इन्द्रावतीपुर, तालकेश्वरपुर, घाघरा, नवाडीह सहित अनेकों ग्रामों में शासन की योजना के तहत बीपीएल परिवारों को शौचालय निर्माण कराकर देने का है। शौचालय निर्माण में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी भुगतान बाकी है। शासन की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। परन्तु प्रशासन की लापरवाही के वजह से अनेकों ग्राम हैं जहां पर शौचालय के नाम पर खानापूर्ति की गई है। अनेकों ग्रामों में शौचालय निर्माण अधूरा है एवं कई ग्रामों में निर्मित शौचालय का मजदूरी भुगतान भी मजदूरों को अप्राप्त है और प्रशासन अपनी वाहवाही लूटने के लिए ग्रामों को ओडीएफ भी घोषित कर चुके हैं। प्रशासन की यह महत्वपूर्ण योजना मजाक बन गई है।

05. विधान सभा क्षेत्र जैजेपुर में मुख्य वितरक नहर पूर्ण नहीं होना ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना इस प्रकार है :-

जिला-जांजगीर-चाम्पा के विधानसभा जैजैपुर के मुख्य नहर से झालरौंदा वितरक नहर, मलनी वितरक नहर, मुरलीडीह वितरक नहर, कलमीडीह वितरक नहर, बरदुली वितरक नहर एवं कचन्दा वितरक नहर पूर्ण नहीं होने के कारण ग्राम-खम्हरिया, झालरौंदा, भोथिया, मलनी, कोटेतरा, अकलसरा, केकराभाथ, भोथीडीह, खजुरानी, खम्हारीडीह, मुरलीडीह, करौवाडीह, नंदेली, गुचकुलिया, पाड़ाहरदी, सेमराडीह, करमनडीह, शिकारीनाला, कलमीडीह, हरदीडीह, रीवाडीह, अमलीडीह, खैरझीटी, बोड़रडीह, कोकेलखुर्द, पिसौदा, भनेतरा, लालमाटी, बैहागुडरू, तुमीडीह के किसान सिंचाई से वंचित हैं । इसी प्रकार विकासखंड मालखरौदा के छपौरा वितरक नहर नरियरा मिरौनी वितरक नहर पूर्ण नहीं होने के कारण ग्राम-बासिन, देवगांव, बरपाली, डोंगा, अचरितापाली, मिरौनी, मुड़पार, रनपोटा, मरघट्टी के किसान सिंचाई से वंचित हैं । जबकि सिंचाई विभाग द्वारा बिना पानी दिये कई गांव के कृषकों को जलकर नोटिस दिया जा रहा है । वितरक नहर पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त नहर में पानी नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा उक्त वितरक नहर के शाखा माइनर में लाइनिंग एवं मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है । वितरक नहर में पानी नहीं आने से माइनर का कोई औचित्य नहीं है । वितरक नहर पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विभागों के संदर्भ में बजट के प्रस्ताव प्रस्तुत होने थे । समय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो सके तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और खेद भी व्यक्त करता हूं कि विभाग की ओर से हम लोग समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके । दूसरा दिन चर्चा के लिये हम लोगों को दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही कल गुरूवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(अपराह्न 12.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 (माघ 25, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 13 फरवरी, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं